न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-3, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :: **धनपत माली,** RJS
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

आपराधिक वि.(जमानत) प्र.सं. :: 95/26(1141/26)

चंपालाल उर्फ कालू पुत्र माणकचंद सोनी, निवासी माखण भोग भवन के पास, बंगला नगर, बीकानेर।

-प्रार्थी/अभियुक्त

-बनाम-

राजस्थान राज्य, जरिये अपर लोक अभियोजक -अप्रार्थी

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 BNSS, FIR NO. 14/2026 पुलिस थाना साईबर, बीकानेर अपराध अंतर्गत धारा 411, 413, 417, 419, 420, 120 बी भादस।

उपस्थित:-

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से:-विद्वान अधिवक्तागण श्री नारायणसिंह राठौड़ व विश्वराज सिंह।
2. राज्य की ओर से:-विद्वान अपर लोक अभियोजक।

-आदेश-

दिनांक: 06.07.2026

1. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा-480 BNSS खारिज किये जाने पर प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा-483 BNSS माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बीकानेर के यहाँ प्रस्तुत किया गया, जो अंतरित होकर इस न्यायालय को विधिवत् सुनवाई हेतु प्राप्त हुआ, जिसकी नकल अपर लोक अभियोजक को दिलवायी गयी, जिन्होंने केस डायरी व तत्यात्मक रिपोर्ट पेश की। बहस जमानत सुनी गयी। केस डायरी व तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 12.06.26 को परिवादी खेताराम एएसआई, साईबर पुलिस थाना, बीकानेर ने थानाधिकारी साईबर पुलिस थाना, बीकानेर के समक्ष एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि श्रीमान् महानिरीक्षक पुलिस साईबर क्राईम एवं तकनीकी सेवाऐं राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक 1900 दिनांक 27.03.26 से राज्य में साईबर अपराधों की रोकथाम हेतु संदिग्ध बैंक खातों म्यूल अकाउंट एवं हॉटस्पॉट पर प्रभावी कार्यवाही हेतु चलाए जा रहे म्यूल हंटर अभियान में कार्यवाही के दौरान खेताराम सउनि को चम्पालाल सोनी उर्फ कालू पुत्र माणकचंद के एसबीआई खाता संख्या 42849707002 में साईबर ठगी की राशि प्राप्त होने की सूचना प्राप्त हुई। उक्त एसबीआई बैंक खाता संख्या 42849707002 को सउनि मय कंप्यूटर ऑपरेटर श्री सीताराम कानि. 1186 ने गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित समन्वय पोर्टल पर चैक किया तो उक्त बैंक खाते पर समन्वय पोर्टल पर ट्रेडिंग व इन्वेस्टमेंट के

नाम की साईबर फ्रॉड की 38 एनसीआरपी कम्प्लेन दर्ज है। उक्त कम्प्लेनों के मुताबिक एसबीआई बैंक खाता संख्या 42849707002 में साईबर ठगी के 1,87,58,631/- रुपये जमा हुए है। एसबीआई बैंक खाता संख्या 42849707002 का बैंक स्टेटमेंट प्राप्त कर अवलोकन किया तो उपरोक्त कम्प्लेनों के मुताबिक चंपालाल सोनी उर्फ कालू पुत्र माणकचंद सोनी के एसबीआई बैंक खाता संख्या 42849707002 में साईबर ठगी की कुल 1,87,58,631/- रुपये की राशि प्राप्त हुई। दिनांक 03.04.24 से दिनांक 04.05.24 तक कुल 2,28,38,413.25/- रुपये का लेनदेन हुआ है। उक्त खाताधारक चंपालाल सोनी उर्फ कालू पुत्र माणकचंद सोनी को पूछताछ हेतु थाना बुलाया गया व पूछताछ की गयी तो उसने बताया कि उसने अपने एसबीआई बैंक खाता संख्या 42849707002 उपयोग साईबर ठगी में कियां वे अपनी साईबर ठगी गैंग के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर साईबर ठगी का कार्य करते है। वह साईबर ठगी गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर देश के विभिन्न राज्यों के भोले-भाले लोगों को ट्रेडिंग व इन्वेस्टमेंट के नाम पर आमजन के साथ इन्वेस्टमेंट सलाहकार बनकर व शेयर ट्रेडर बनकर धोखाधड़ी की राशि अपने अकाउण्ट में डलवाकर फ्रॉड का कार्य करते हैं, इत्यादि। उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना साईबर, बीकानेर में प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 14/2026 अपराध अंतर्गत धारा 411, 413, 417, 419, 420, 120बी भादस में दर्ज हुई और अनुसंधान से प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 411, 413, 417, 419, 420, 120बी भादस प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाए गए हैं और प्रकरण अनुसंधान के अधीन है।

3. हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपना जमानत आवेदन अंतर्गत धारा-480 BNSS न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बीकानेर के समक्ष पेश किया गया, जो दिनांक 19.06.26 को खारिज किया गया, जिससे व्यथित होकर प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से हस्तगत जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा-483 BNSS पेश किया गया, जिसका निस्तारण किया जा रहा है।

4. बहस जमानत उभय पक्ष सुनी गई एवं केस डायरी व तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

5. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता ने जमानत आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष हैं और उसे इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। उनका तर्क रहा कि प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 12.06.2026 को गिरफ्तार किया गया, उसके पश्चात से वह लगातार न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। उनका तर्क रहा कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई साइबर ठगी या चोरी नहीं की गयी है और ना ही किसी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के नाम पर निवेश की सलाह दी गयी है, उसके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई घटना कारित नहीं की गयी है। उनका यह भी तर्क रहा कि हस्तगत प्रकरण में एफआईआर पुलिस ने अभियान में पुलिस थाना साईबर, बीकानेर के खेताराम एएसआई द्वारा स्रोत से प्राप्त जानकारी के आधर पर दर्ज की है, जबकि किसी भी व्यक्ति ने प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध कोई शिकायत दर्ज नहीं करवायी है। उनका तर्क रहा कि प्रार्थी/अभियुक्त साधारण परिवार का व्यक्ति है तथा उसका पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड शून्य है, उसके गरीब होने का नाजायज फायदा उठाकर पुलिस ने उसे झूठा फंसाया है। उनका यह

भी तर्क रहा कि प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त से कोई बरामदगी नहीं हुई है। उनका तर्क रहा कि प्रार्थी/अभियुक्त से अनुसंधान पूर्ण हो चुका है तथा प्रकरण की अन्वीक्षा व विचारण में समय लगने की संभावना है। उनका तर्क रहा कि प्रकरण में संविधान के अनुच्छेद 22(1) व दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-50 की पालना नहीं की गयी है। अंत में प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने का निवेदन किया।

6. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने दौराने बहस उक्त तर्कों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण साईबर ठगी से संबंधित है और इस मामले में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध गंभीर प्रकृति के अपराध अंतर्गत धारा 411, 413, 417, 419, 420, 120बी भादस के आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाए गए है। उनका यह भी तर्क रहा कि प्रार्थी/अभियुक्त ने साईबर ठगी गैंग के अन्य सदस्यों के साथ षडयन्त्र कर अपना बैंक खाता व बैंक खाते से जुड़े मोबाईल नंबर की सिम अपने साथी भागीरथ सिहाग को 20 हजार रुपये कमिशन पर दी गयी थी और प्रार्थी/अभियुक्त के बैंक खाते में करीब 1 करोड़ 87 लाख रुपये की साईबर ठगी की राशि बार-बार प्राप्त करने का तथ्य अनुसंधान से प्रमाणित पाया गया है। उनका यह भी तर्क रहा कि इस तथ्य की पुष्टि स्वयं अभियुक्त की धारा 23(2) भारतीय साक्ष्य अधि. के तहत दी गयी इत्तिला में वर्णित सूचना से होती है। उनका यह भी तर्क रहा कि प्रार्थी/अभियुक्त के एसबीआई खाते के संबंध में कुल 38 एनसीआरपी कम्प्लेंट दर्ज हुई है और प्रार्थी/अभियुक्त ने साईबर ठगी गैंग के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर देश के विभिन्न राज्यों के व्यक्तियों को सदोष हानि पहुंचाने के आशय से व स्वयं को सदोष लाभ प्राप्त करने के आशय से षडयन्त्रपूर्वक साईबर फ्रॉड के तहत उक्त गंभीर अपराध कारित किए हैं तथा साईबर फ्रॉड करने में अपने बैंक खाता का अभ्यासत पैसों का लेन-देन भी किया गया है। अंत में आरोपित अपराध की गंभीरता के दृष्टिगत प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन अस्वीकार कर खारिज किए जाने का निवेदन किया।

7. हमने उभय पक्षों को सुन लिया है एवं केस डायरी व तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन कर लिया है।

8. हस्तगत प्रकरण की केस डायरी व तथ्यात्मक रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकट है कि यह प्रकरण साईबर ठगी से संबंधित है और हस्तगत मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 14/26 पुलिस थाना साईबर, बीकानेर में अपराध अंतर्गत धारा 411, 413, 417, 419, 420, 120बी भादस में दर्ज हुई है और इस मामले में अब तक के अनुसंधान से प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 411, 413, 417, 419, 420, 120बी भादस प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है।

9. हस्तगत प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट व केस डायरी पर उपलब्ध प्रार्थी/अभियुक्त की धारा 23(2) साक्ष्य अधि. की इत्तिला में वर्णित तथ्योंनुसार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपने एसबीआई बैंक खाता संख्या 42849707002 कमिशन पर भागीरथ सिहाग निवासी बरसिंगसर पीएस देशनोक, बीकानेर को कमिशन पर दिया जाना और अपने एसबीआई बैंक खाता संख्या 42849707002 की बैंक डायरी, एटीएम कार्ड, चैक बुक और बैंक खाता से लिंक मोबाईल नंबर की सिम भागीरथ सिहाग को देकर उसके बदले में भागीरथ सिहाग से 20 हजार रुपये का कमिशन प्राप्त करने किए जाने की सूचना

अनुसंधान के दौरान दी गयी है और हस्तगत मामले में उक्त सूचना व अन्य अनुसंधान सामग्री व साक्ष्य इत्यादि के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को इस मामले में संलिप्त पाया जाकर उसके विरूद्ध उपरोक्त गंभीर प्रकृति के अपराध अंतर्गत धारा 411, 413, 417, 419, 420, 120बी भादस प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाए गए है। इसके अलावा केस डायरी व तथ्यात्मक रिपोर्ट में वर्णित तथ्योंनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के उक्त एसबीआई खाते के संबंध में 38 एनसीआरपी कम्प्लेंट दर्ज हुई है और प्रार्थी/अभियुक्त व उसके अन्य साथियों द्वारा उक्त बैंक खाता में करीब 1 करोड़ 87 लाख रुपये की साईबर ठगी की राशि बार-बार प्राप्त किए जाने का तथ्य अंकित है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त पर अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर षडयन्त्रपूर्वक देश के विभिन्न राज्यों के व्यक्तियों को सदोष हानि कारित करने व स्वयं को सदोष लाभ प्राप्त करने के आशय से एक गिरोह बनाकर आम लोगों के साथ छल व कपट करके झांसे में लेकर साईबर फ्रॉड करने का अभ्यासतः पैसों का लेन-देन कर अवैधानिक राशि को हस्तांतरण करते हुए उपयोग-उपभोग किए जाने का आरोप है और केस डायरी पर मौजूद तथ्योंनुसार प्रकरण में कथित भागीरथ सिहाग का प्रथम सूचना दर्ज होने के पश्चात रूहपोश होना बताया गया है। हालांकि प्रार्थी/अभियुक्त का पूर्व कोई आपराधिक रिकॉर्ड केस डायरी पर नहीं है, मगर देखा जावे तो प्रार्थी/अभियुक्त पर साईबर ठगी के गंभीर अपराध का अभियोग है और प्रकरण अनुसंधान के अधीन है।

10. ऐसे में इस प्रक्रम पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों और आरोपित अपराध की गंभीरता व साईबर ठगी के आजकल बढ़ते मामलों की प्रवृति इत्यादि को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का यह जमानत आवेदन अस्वीकार कर खारिज किए जाने योग्य है।

-आदेश-

11. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **चंपालाल उर्फ कालू** पुत्र माणकचंद सोनी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा-483 BNSS **अस्वीकार** कर एतद्द्वारा **खारिज** किया जाता है।

(धनपत माली)
अपर जिला न्यायाधीश सं 3,
बीकानेर

12. आदेश आज दिनांक **06.07.2026** को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं उद्घोषित किया गया।

(धनपत माली)
अपर जिला न्यायाधीश सं 3,
बीकानेर